

राज्यपाल की भूमिका और शक्ति

प्रलिस के ललल:

राज्यपाल से संबंघतल संवैघानकल प्रलवघान ।

मेन्स के ललल:

राज्यपाल-राज्य संबंघों में टकरलव के बढु, अनुच्छेद 356, प्रशासनकल सुघार आयोग (1968), राजमन्नार समतल (1971) और न्यायमूर्तलवल. चेलयल आयोग (2002) ।

चरचा में क्यो?

राज्यपाल राज्य के संवैघानकल प्रमुख और केंद्र सरकार के प्रतनलधल के रूप में 'दोहरी भूमकल' में कार्य करता है ।

- हाल के वर्षों में राज्यों और राज्यपालों के बीच टकरलव देखा गया है जो काफी हद तक सरकार बनाने, पार्टी के चयन, बहुमत साबतल करने की समय-सीमा, वधलयकों पर बैठकों को आयोजतल करने और राज्य प्रशासन पर नकारात्मक टपपणी करने को लेकर रहा है ।

प्रमुख बढु

राज्यपाल से संबंघतल संवैघानकल प्रलवघान:

- अनुच्छेद 153:** प्रत्येक राज्य के ललल एक राज्यपाल होगा । एक वयकतल को दो या दो से अधकल राज्यों का राज्यपाल नयुकत कयल जा सकता है ।
 - राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामतल वयकतल होता है, जसल राष्ट्रपतल द्वारा नयुकत कयल जातल है ।
- संवघान के मुताबकल, राज्य का राज्यपाल दोहरी भूमकल अदा करता है ।
 - वह राज्य के मंत्रपरलषद (CoM) की सलाह मानने को बाधय राज्य का संवैघानकल प्रमुख होता है ।
 - वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है ।
- अनुच्छेद 157 और 158 के तहत राज्यपाल पद के ललल पात्रता संबंघी आवश्यकताओं को नरुदषल कयल गया है ।
- राज्यपाल को संवघान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान और दंडवरलम आदल की भी शकतल प्रलपत है ।
- कुछ ववलकाधीन शकतलयों के अतरकलत राज्यपाल को उसके अन्य सभी कार्यों में सहायता करने और सलाह देने के ललल मुख्यमंत्रल की अधयक्षता में एक मंत्रपरलषद का गठन कयल जाने का प्रलवघान है । (अनुच्छेद 163)
- राज्य के मुख्यमंत्रल और अन्य मंत्रलयों की नयुकतल राज्यपाल द्वारा की जातल है । (अनुच्छेद 164)
- राज्यपाल, राज्य की वघलनसभा द्वारा पारतल वधलयक को अनुमतल देता है, अनुमतल रोकता है अथवा राष्ट्रपतल के वघार के ललल वधलयक को सुरक्षतल रखता है । (अनुच्छेद 200)**
- राज्यपाल कुछ वधलषलत परसलथतलयों में अधयादेशों को प्रख्यापतल कर सकता है । (अनुच्छेद 213)

राज्यपाल-राज्य संबंघ

- राज्यपाल की परकलल्पना एक **गैर-राजनीतकल प्रमुख** के रूप में की जातल है, जसल मंत्रपरलषद की सलाह पर कार्य करना चाहयल । हालाँकल राज्यपाल को संवघान के तहत कुछ ववलकाधीन शकतलयों प्रलपत हैं । उदाहरण के ललल:
 - राज्य वघलनमंडल द्वारा पारतल **कसल वधलयक को स्वीकृतल देना या रोकना,**
 - कसल पार्टी को बहुमत साबतल करने के ललल आवश्यक **समय का नरुधरण, या**
 - आमतौर पर कसल चुनाव में त्रशलंकु जनादेश के बाद बहुमत साबतल करने के ललल सबसे पहले कसल पार्टी को बुलाया जाना चाहयल ।
- राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वह **राष्ट्रपतल के प्रसादपर्यंत** ही पद पर बना रह सकता है ।
 - वर्ष 2001 में **संवघान के कामकाज की समीक्षा करने के ललल राष्ट्रीय आयोग** ने माना कल राज्यपाल की नयुकतल और संघ के ललल उसकी नरुतरता आवश्यक है ।

- ऐसी आशंका जाहरी की जाती है कि राज्यपाल प्रायः केंद्रीय मंत्रपरिषद से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं।
- संवधान में राज्यपाल की शक्तियों के प्रयोग के लिये कोई दशा-निर्देश नहीं हैं, जसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति या विधानसभा को भंग करना शामिल है।
- राज्यपाल कतिने समय तक किसी विधायक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
- राज्यपाल केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजता है, जो अनुच्छेद-356 (राष्ट्रपति शासन) को लागू करने के लिये राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रपरिषद की सफारिशों का आधार बनाती है।

कनि सुधारों का सुझाव दिया गया है?

- **राज्यपाल की नियुक्ति और नषिकासन के संबंध में:**
 - 'पुंछी आयोग' (2010) ने सफारिश की थी कि राज्य विधायिका द्वारा राज्यपाल पर महाभयिग चलाने का प्रावधान संवधान में शामिल कया जाना चाहयि।
 - राज्यपाल की नियुक्ति में राज्य के मुख्यमंत्री की राय भी ली जानी चाहयि।
- **अनुच्छेद-356 के संबंध में:**
 - 'पुंछी आयोग' ने अनुच्छेद 355 और 356 में संशोधन करने की सफारिश की थी।
 - 'सरकारया आयोग' (1988) ने सफारिश की थी कि अनुच्छेद 356 का उपयोग बहुत ही दुर्लभ मामलों में विकपूर्ण तरीके से ऐसी स्थिति में कया जाना चाहयि जब राज्य में संवैधानिक तंत्र को बहाल करना अपरहिर्य हो गया हो।
 - इसके अलावा प्रशासनिक सुधार आयोग (1968), राजमन्नार समति (1971) और न्यायमूर्तकी. चेलैया आयोग (2002) आदि ने भी इस संबंध में सफारिशें की हैं।
- **अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकार की बर्खास्तगी के संबंध में:**
 - **एस.आर. बोमई मामला (1994):** इस मामले के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों की मनमानी बर्खास्तगी को समाप्त कर दिया गया।
 - नरिणय के मुताबकि, विधानसभा ही एकमात्र ऐसा मंच है, जहाँ तत्कालीन सरकार के बहुमत का परीक्षण कया जाना चाहयि, न कि राज्यपाल की व्यक्तपिरक राय के आधार पर।
- **वविकाधीन शक्तियों के संबंध में:**
 - नबाम रेबया मामले (2016) में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने नरिणय में कहा था कि अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की वविकाधीन शक्तियों का प्रयोग सीमति है और राज्यपाल की कार्रवाई मनमानी या काल्पनिक तथ्यों के आधार पर नहीं होनी चाहयि।

आगे की राह

- **संघवाद का सुदृढीकरण:** राज्यपाल के पद के दुरुपयोग को रोकने के लिये भारत में संघीय व्यवस्था को मज़बूत करने की आवश्यकता है।
 - इस संबंध में अंतर-राज्य परिषद और संघवाद के विकल्प के रूप में राज्यसभा की भूमिका को मज़बूत कया जाना चाहयि।
- **राज्यपाल की नियुक्ति की पद्धति में सुधार:** राज्यपाल की नियुक्ति राज्य विधायिका द्वारा तैयार कयि गए पैनल के आधार पर की जा सकती है, वही वास्तविक नियुक्ति का अधिकार अंतर-राज्य परिषद को होना चाहयि, न कि केंद्र सरकार को।
- **राज्यपाल के लिये आचार संहति:** इस 'आचार संहति' में कुछ 'मानदंड और सदिधांत' निर्धारित कयि जाने चाहयि, जो राज्यपाल के 'वविक' और उसकी शक्तियों के प्रयोग हेतु मार्गदर्शन कर सकें।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस